भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1422

09.02.2026 को उत्तर के लिए

संकटग्रस्त बाघ पर्यावास का पुनर्वर्गीकरण

1422. श्री गुरु संत सिंहः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को युक्तिसंगत बनाने के राजस्थान राज्य सरकार के प्रस्ताव में अवगत है;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की हैं और पारिस्थितिकी संबंधी एवं कानूनी मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इस मामले पर कोई रिपोर्ट या सिफारिश प्रस्तुत की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में आसपास के क्षेत्र में कितनी डोलोमाइट खदानें सक्रिय हैं और इस तरह के पुनर्वर्गीकरण की स्थिति में कितनी अतिरिक्त खदानों के चालू होने की संभावना है, साथ ही वन्यजीवों और वन पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय परिकल्पित किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : सरिस्का बाघ अभयारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण का प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की दिनांक 22.07.2025 की उनकी रिपोर्ट के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं के युक्तिकरण की सिफारिश की है। इसके बाद राज्य सरकार ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति के विचार-विमर्श के लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड (एसबीडब्ल्यूएल) की सिफारिश के साथ महत्वपूर्ण बाघ पर्यावस (सीटीएच) के युक्तिकरण के लिए प्रस्ताव

प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रस्ताव की जांच राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा की गई और पारिस्थितिक विचारों के आधार पर युक्तिकरण के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की गई। एसडब्लूएल और एनटीसीए की सिफारिश के आधार पर एससी-एनबीडब्लूएल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इसके अलावा, इस संबंध में, राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि अलवर और कोटपुतली-बेहरोर के जिला कलेक्टरों द्वारा क्रमशः दिनांक 28.11.2025 के पत्र संख्या 5089 और दिनांक 03.12.2025 के पत्र संख्या 7289 द्वारा सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किए गए थे। इसके अलावा, अभयारण्य क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में क्रमशः दिनांक 28.11.2025 के पत्र संख्या 5102 और दिनांक 03.12.2025 के पत्र संख्या 7322 के माध्यम से अलवर और कोटपुतली-बेहरोर जिला कलेक्टरों द्वारा घोषणाएं भी जारी की गईं।

इन घोषणाओं में, जिला कलेक्टरों द्वारा आपत्तियों के निपटान के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। सार्वजनिक सूचना के संबंध में सुझाव / आपत्तियों के प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है और संबंधित अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) के कार्यालय में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा के संबंध में सुझाव / आपत्तियों के प्रस्तुत करने के लिए दो महीने की अवधि निर्धारित की गई है।

सीटीएच और सरिस्का टाइगर रिजर्व की तर्कसंगत सीमाओं और इसकी संबंधित ईएसजेड सीमा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए, इस तरह के पुनर्वर्गीकरण की स्थिति में परिचालन में आने वाली अतिरिक्त खदानों की अनुमानित संख्या का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मौजूदा सीटीएच की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर खनन पर प्रतिबंधित किया है। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरिस्का टाइगर रिजर्व के मौजूदा सीटीएच के आसपास के क्षेत्र में एक डोलोमाइट खदान चालू है।

****